निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 109/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रमेश खारोल पुत्र सीताराम खारोल, जाति खारोल, निवासी माधोराजपुरा, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर।
2. शंकरलाल चौधरी पुत्र श्रवण लाल चौधरी, जाति जाट, निवासी ग्राम पचालिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. बजरंग लाल पुत्र श्री सीताराम, जाति जाट, निवासी माधोराजपुरा, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर।
4. विनोद कुमावत पुत्र श्री गोपाल लाल कुमावत, जाति कुमावत हाल निवासी मकान नम्बर 54, हरिकृष्णा ऐजीकेन्सी, मुहाना मण्डी रोड, केसर चौराहा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 156/2024 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 128/2024 ब–उनवानी रमेश खारोल बनाम शंकरलाल को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री बनवारीलाल शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 10.07.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 156/2024 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 128/2024 ब–उनवानी रमेश खारोल बनाम शंकरलाल दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई । अप्रार्थी संख्या 4 ओर से अधिवक्ता श्री रघुवीर सिंह राठौड उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 4 जो की एक अजनबी व्यक्ति है जिसके द्वारा तथाकथित इकरारनामा के आधार पर भूमि बाबूलाल यादव से क्रय करना अंकित कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर प्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं समझ कर उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. स्वीकार कर लिया गया। अप्रार्थी संख्या 4 जो कि राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है जो कि अपने राजनैतिक प्रभाव के चलते पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव व प्रलोभन में लेकर तथा उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 स्वीकार करवा लिया जबकि उक्त आराजी से अप्रार्थी संख्या 4 को कोई संबंध सरोकार नहीं

जिला कलक्टर जयपुर

है। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा पूर्व तारीख पेशी पर प्रार्थीगण की माता को न्यायालय परिसर में कहा गया कि आगामी तारीख पेशी पर उक्त प्रकरण को फैसला मेरे पक्ष में करवा लूंगा, मेरी अधिकारी से बात हो गई है। अप्रार्थी संख्या 4 व अन्य जो कि एक राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जो धनबल व बाहुबल में अधिक है तथा अपनी राजनैतिक पहुंच व धनबल के चलते पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में ले रखा है। पीठासीन अधिकारी द्वारा भी बिना न्यायिक विवेक इस्तेमाल किये ही उक्त प्रकरण को शीघ्र निस्तारण करने पर आमादा है तथा प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशीया दी जा रही है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के व्यवहार से भी साफ दर्शित हो रहा है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 4 के प्रभाव व प्रलोभन में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नही है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में अन्य राजस्व न्यायालय के यहां मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 10.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर